

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1728 / 2014 / नागौर

मैसर्स होटल भास्कर,
नागौर

.....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-प्रथम, नागौर

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.सी.सोगानी,

अधिकृत अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री जमील जई,

उप-राजकीय अधिवक्ता

..... प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 19/01/2016

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील संख्या 106/13-14/वेट/नागौर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 16.07.2014 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "वेट अधिनियम" कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा शराब एवं बियर का व्यवसाय किया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी ने चारों तिमाही के बिक्री विवरण पत्र (वर्ष 2010-11) के सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-चतुर्थ वृत्त-नागौर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) के समक्ष पेश किये। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तावेजों की जाँच पर पाया कि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत शराब पर 20 प्रतिशत से कर का दायित्व बनता है। जबकि 14 प्रतिशत से करारोपण किया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 26.02.2013 द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध वेट अधिनियम के अन्तर्गत 6 प्रतिशत से अन्तर कर रू0 2,05,382/- तथा ब्याज रू0 55,681/- का आरोपण किया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवहारी ने प्रथम अपील, अपीलीय अधिकारी के समक्ष पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 16.07.2014 द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त के निर्णय विरुद्ध, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी होटल में संचालित बार द्वारा बियर का विक्रय करता है एवं

उक्त विक्रय वह सीधे ही ग्राहकों को करता है जिनसे अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा 14 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा करवाता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त विक्रय को अधिनियम की अनुसूची-VI के तहत 20 प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित कर, अपीलार्थी के विरुद्ध अन्तर कर रू0 2,05,382/- व वेट अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज रू0 55,681/- की मांग राशि कायम की गयी है जो विधिसम्मत नहीं है। अपीलीय अधिकारी ने भी आरोपित मांग को यथावत रखते हुए, अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने में विधिक भूल की है। उनका निवेदन था कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जावे।

प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी, पत्रावली उप उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का ससम्मान अध्ययन किया गया। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना इस प्रकार है:-

S.No.3112[No.F.12(94)FD/Tax/2007-4], dated 13-06-2014

In exercise of the powers conferred by Sub-section(5) of Section 4 of the Rajasthan value Added Tax Act,2003(Act No. 4 of 2003),the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby males the following amendment in schddule VI(S.No. 2036) appended to the said Act, namely:-

AMENDMENNT

In Schedule VI(S.No.2036) appended to the said Act, in column nubur 2 against serial numbers 3, for the exiting expression”(b) When sold to the dealers not covered in (a) above.”, the expression” (b) When sold to dealers/persons not covered in(a) above.” Shall be substituted. With effect from 31.08.2009.

रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने आलौच्य अवधि में शराब व बीयर का विक्रय किया जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 3(सी) के तहत कर देयता निर्धारित करते हुए कुल बिक्री पर 20 प्रतिशत से करारोपण किया है। इस संबंध में विशेष उल्लेखनीय है कि वेट अधिनियम की अनुसूची-VI में दिनांक 13.06.2014 के संशोधन के द्वारा दिनांक 31.08.2009 से प्रभावी प्रतिष्ठित प्रतिस्थापित की गई है। अनुसूची-VI की प्रविष्टि संख्या 3(b) को दिनांक 31.8.2009 से प्रतिस्थापित किया है जिसमें डीलर्स/व्यक्ति जो 3(a) से आच्छादित नहीं है उन पर कर दर 20 प्रतिशत है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा शराब की बिक्री सीधे उपभोग हेतु उपभोक्ताओं को की गई है, यह खरीददार उपभोक्ता इस प्रविष्टि में व्यक्तियों की श्रेणी में शुमार होते हैं। अतः इनको बेचे गये शराब पर कर की दर 20 प्रतिशत अनुसूची-VI में विहित की गई है। अनुसूची-VI वेट अधिनियम का भाग है और विधायिका के द्वारा इस पर 20 प्रतिशत की कर दर


विहित की गई है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी के विरुद्ध 20 प्रतिशत से कर का जो करारोपण किया है, अपीलीय अधिकारी ने भी इसे यथावत रखने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

अपीलार्थी का कर दायित्व रू0 7,40,287/- में आईटीसी रू0 4,66,861/-का समायोजन पाये जाने के पश्चात शेष कर दायित्व रू0 2,73,426/-कम जमा पाये जाने पर, कर निर्धारण अधिकारी वेट अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज का आरोपण किया है, वह भी विधिसम्मत होने से, अपीलीय अधिकारी ने भी अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र वेट-10 क्रमशः दिनांक 22.12.2010, 22.12.2010, 11.02.2011, 24.05.2011 तथा वेट-10ए 30.12.2011 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, जो कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध है। विधि के द्वारा विहित किया गया कर जिसकी दर 20 प्रतिशत है, अपीलार्थी द्वारा जमा कराकर विवरण प्रपत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए समस्त देय कर जमा होने की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं की गई है। अपीलीय अधिकारी ने भी अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.07.2014 के द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध कर व ब्याज को यथावत रखते हुए, अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है।


फलतः अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.07.2014 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।



(ईश्वरी लाल वर्मा)

सदस्य



(सुनील शर्मा)

सदस्य